

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/
प्रार्थीगण

बनाम

420

अप्रार्थीगण

दिनांक - 17.2.20

1 रामाराम 2
हीराराम पिसरान
हरखाराम जाति
जाट निवासी
रिडमलाणियों की
ढाणी, कगाऊ
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 मोटाराम पुत्र पदमाराम 2 चुनाराम 3 कलाराम पिसरान
भोमाराम 4 आदुराम पुत्र अमेदाराम 5 गजाराम 6 रेखाराम पिसरान
भोमाराम 7 चतरुदेवी पत्नी भोमाराम 8 रावताराम पुत्र पेमाराम 9
गेनाराम पुत्र धर्मराम 10 जालाराम 11 खेताराम पिसरान उदाराम
12 चनणीदेवी पत्नी उदाराम 13 बागाराम 14 लिखमाराम 15
कौशलाराम पिसरान विरमाराम 16 पपुराम पुत्र तिलाराम 17 चतरु
पत्नी तिलाराम 18 दुदाराम पुत्र विरमाराम जाति जाट निवासी
रिडमलाणियों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 391/2019

दिनांक- 11.02.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रिडमलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 40 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 110 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 111 रकबा 27.14 बीघा व खसरा संख्या 163/41 रकबा 56.12 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/

421, 424

दिनांक- 17.2.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कगाऊ तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रामाराम पुत्र हरखाराम वगैराह जाति जाट निवासी रिडमलाणियों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मोटाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति जाट निवासी रिडमलाणियों की ढाणी, कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

